रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1502] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 17, 2018/चैत्र 27, 1940
No. 1502] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 17, 2018/CHAITRA 27, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2018

का.आ. 1656(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, सं. का. आ. 2930 (अ) द्वारा तारीख 18 दिसंबर, 2012 को प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा 4179.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले गौमुखी से उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी के लगभग 100 किलोमीटर फैलाव के संपूर्ण जलभराव क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रुप में अधिसूचित किया था जिसके द्वारा उक्त जोन में कतिपय श्रेणियों के क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध, विनियमित किया गया था या उन्हें अनुमति प्रदान की गई थी;

भागीरथी पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित करते हुए प्रोत्साहन योग्य विकास को बढ़ावा देने वाले क्रियाकलापों की अनुमति देने के लिए विभिन्न पणधारकों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) उप-नियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में ऐसा करना है तो वह पूर्वोक्त नियम के उप-नियम (5) के खंड (क) के अधीन सूचना की आवश्यकता अपेक्षा को समाप्त कर सकेगा;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना को संशोधन करने के लिए उपरोक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाए।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) के साथ

पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

(I) **पैरा 2 में**,

(अ) खंड (12) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:- **"**(12) आंचलिक महायोजना में भूमि उपयोग से हरित उपयोगों जैसे बागवानी क्षेत्रों, कृषि, चाय बागान, उद्यान और अन्य जैसे स्थानों गैर-हरित उपयोगों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि आंचलिक महायोजना को इस तरह की भूमि को सख्ती से सीमित रूपांतरण को पूरा करने की अनुमति हो सकती है बड़े पैमाने पर लोकहित और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित नागरिक सुविधाओं और अन्य बुनियादी ढांचों के विकास के साथ-साथ राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के साथ पर्यावरणीय प्रभावों के अध्ययन और उनके उपरांत विकल्पों के साथ पालन करके अंतिम रूप देना होगा।**"**

(आ) खंड (14) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(14) अधिसूचना के खंड (12) और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (1980 का 69) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई परिणामिक कमी नहीं होगी।**"**

(इ) खंड (16) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(16) पहाड़ी ढलानों का विकास और संरक्षण:

(i) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों के क्षेत्रों को निर्दिष्ट करेगा जहां विकास की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) "किसी भी ढलान वाले क्षेत्रों में कोई भी विकास नहीं किया जाएगा या ऐसे क्षेत्र जो अपूर्ण या खतरा जोन या वसंत रेखाओं में आने वाले क्षेत्रों पर आते हैं और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पहचान की गई प्रथम ऑर्डर सरिताएँ या कटाव की उच्च डिग्री वाले ढलानों और आपवाहिक मामलों में समुदाय के लाभ के लिए अवसंरचनात्मक संकर्मों को पर्यावरणीय प्रभावों के समुचित अध्ययन के साथ किया जा सकेगा और लोक परामर्श सहित केंद्रीय सरकार के लाइन मंत्रालयों के परामर्श से इस तरह के विकास से उत्पन्न होने वाले उचित उपायों को किया जा सकेगा।"

(iii) पर्यटक रिसोर्ट और वाणिज्यिक काम्पलेक्स में अधिशेष जल और बिजली वाले क्षेत्रों में ग्राम सभा और विद्यमान उपयोगकर्ताओं के साथ परामर्श और राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण की अनुमोदन के साथ स्थित होगा।

(iv) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के स्थानों में जहां पहाड़ी कटाव से पारिस्थितिकी क्षति और आसन्न क्षेत्रों में ढलान अस्थिरता हो जाती है, ऐसे कटावों को पर्यावरणीय प्रभावों के समुचित अध्ययन से लिया जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र सहित केन्द्रीय सरकार के लाइन मंत्रालयों के साथ परामर्श में उचित उपचारात्मक उपायों को लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण- *"इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए," खड़ी पहाड़ी ढलान" का वही अर्थ होगा जो आईएस 14496 (भाग 2) 1998 में वर्गीकरण में दिया गया है: पर्वतीय क्षेत्र-दिशा-निर्देशों में भूस्खलन खतरे क्षेत्रीय मानचित्र की तैयारी के लिए भारतीय मानक।";*

(ई) खंड (19) में, उप-खंड (**i**) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

(i) "आंचलिक महायोजना में शामिल होने के अध्यधीन रहते हुए विद्यमान सड़कों का विस्तार या चौड़ाई सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अनारक्षित सड़क सहित किसी भी सड़क के संनिर्माण के लिए है।"

"आंचलिक महायोजना में शामिल होने के अध्यधीन रहते हुए विद्यमान सड़कों का विस्तार या चौड़ाई सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अनारक्षित सड़क सहित किसी भी सड़क के संनिर्माण के लिए है।"

(II) पैरा 3 **में:-**

(अ) खंड (क) में, उप-खंड (**v**) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(**v**) नई आरा मिलों की स्थापना।";

(आ) खंड (ख) में,

(**i**) उप-खंड (**i**) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

(i) जल.-(1) "भूजल की निकासी की अनुमति केवल भूखंड के प्रामाणिक उपभोक्ता के कृषि और घरेलू उपभोग के लिए और सार्वजनिक उपयोगिता संस्थानों और भूजल की बिक्री के लिए भी अनुमत होगी, राज्य भूमिगत जल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अलावा अनुमति नहीं दी जाएगी।";

(**ii**) उप-खंड (**vii**) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(**vii**) विद्युत केबल्स का निर्माण, उप-स्टेशनों, ट्रांसफार्मर और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना और संचार संरचना की स्थापना पर्यावरणीय संघात के उचित अध्ययन के साथ स्थापित की जाएगी और उनके उपरांत विकल्पों के साथ पालन करना होगा।";

(ग) खंड (ग) में,- उप-खंड (**vii**) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(**viii**) पुनर्निर्माण, आपदा निवारण, लिफ्ट सिंचाई, अस्पतालों, स्कूलों, खाद्य प्राप्तियां और अन्य सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा अवसंरचना से संबंधित कार्यों को पर्यावरणीय संघात के उचित अध्ययन के साथ और उनके उपरांत विकल्पों के साथ पालन किया जाएगा।"

[फा.सं. ए. 25/3/2010 ईएसजेड (डब्ल्यूओएल-I)]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, धारा-3, उप-धारा (ii) में का.आ. सं.2930 (अ) द्वारा तारीख 18.12.2012 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2018

S.O. 1656(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.2930(E), dated the 18th December, 2012 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government notified entire watershed area of about 100 kilometres stretch of the river Bhagirathi from Gaumukh to Uttarkashi covering an area of 4179.59 square kilometres as the Eco-sensitive Zone thereby prohibiting, regulating or permitting certain categories of activities in the said Zone;

Whereas, a number of representations have been received from various stakeholders to allow activities that promote sustainable development while ensuring environmental protection in the Bhagirathi Eco-sensitive Zone;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that notwithstanding anything contained in sub-rule (3), wherever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (5) of the aforesaid rule;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the said requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the aforesaid rules for amending the said notification.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the aforesaid notification, namely:-

(I) in paragraph 2,

(A) for clause (12), the following clause shall be substituted, namely:- "(12) No change of land use from green uses such as horticulture areas, agriculture, tea gardens, parks and others like places to non green uses shall be permitted in the Zonal Master Plan, except that strictly limited conversion of such lands may be permitted to meet the local needs including civic amenities and other infrastructure development in larger public interest and national security with the prior approval of State Government with due study of Environmental Impacts and complying with their mitigation options and subject to finalisation of Zonal Master Plan".;

(B) for clause (14), the following clause shall be substituted, namely:-

"(14)There shall be no consequential reduction in Green area such as forest area, agricultural area, etc. subject to the provisions contained in clause (12) and the Forest Conservation Act, 1980 (69 of 1980) as applicable.".;

(C) for clause (16), the following clause shall be substituted, namely:-

"(16) Development and Protection of hill slopes:

(i) The Zonal Master Plan shall indicate the areas on hill slopes where development shall not be permitted.

(ii) No development shall be undertaken in areas having a steep slope or areas which fall in fault or hazard zones or areas falling on the spring lines and first order steams or slopes with a high degree of erosion as identified by the State Government on the basis of available scientific evidence and in exceptional cases infrastructural works for the benefit of community may be undertaken with proper study of the Environmental Impacts and taking appropriate mitigation measures arising out of such development in consultation with the line Ministries of the Central Government including Public Consultation.

(iii) Tourist resorts and commercial complexes shall be located in areas with surplus water and electricity, in consultation with Gram Sabha and existing users and with due approval of State Environment Impact Assessment Authority.

(iv) The places in the Eco-sensitive Zone where cutting of hills causes ecological damage and slope instability in adjacent areas, such cuttings shall be undertaken with proper study of the Environmental Impacts and taking appropriate mitigation measures in consultation with line Ministries of the Central Government including Public Consultation.

Explanation- "For the purposes of this notification, "steep hill slope" shall have the same meaning as assigned to in categorization in IS 14496 (part 2):1998: Indian Standard for Preparation of Landslide Hazard Zonation Maps in Mountainous Terrains-Guidelines.";

(D) in clause (19), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted namely:-

"(i) for construction of any road including un-tarred road in the Eco -sensitive Zone (including the extension or widening of existing roads subject to inclusion in the Zonal Master Plan.";

(II) in paragraph 3,-

(A) in clause (a), for sub-clause (v), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(v) Setting up of new saw mills.";

(B) in clause (b), -

(i) for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

IndiaCode

"(i) Water. - (1) The extraction of ground water shall be permitted only for the agricultural and domestic consumption of the bona fide occupier of the plot and also for institutions of public utility and the sale of ground *water shall not be permitted except with the prior approval of the State Ground Water Board".;*

(ii) for sub-clause (vii), the following sub-clause shall be substituted namely:-

"(vii) Erection of Electric cables, setting up of sub-stations, transformers and other related infrastructure and establishment of communication infrastructure shall be established with due study of Environmental Impacts and complying with their mitigation options.";

(C) in clause (c), - after sub-clause (vii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(viii) Works related to re-construction, disaster mitigation, lift irrigation, hospitals, schools, food go-downs and other social and national security infrastructures shall be carried out with due study of Environmental Impacts and complying with their mitigation options.".

[F. No. 25/3/2010-ESZ (Vol-I)]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section-3, Sub-Section (ii) *vide* S.O. No. 2930(E) dated 18.12.2012.

IndiaCode

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.04.26 19:24:24 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.